सरल कानूनी ज्ञान माला – 45

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072

ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम संख्यांक 32)

लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3), अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है;

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने तारीख 11 दिसम्बर, 1992 को अंगीकृत किया है;

बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाए;

यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए;

बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करने अपेक्षित है–

(क) किसी विधिविरूद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना;

(ख) वेश्यावृत्ति या अन्य विधिविरूद्ध लैंगिक व्यवसायों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

(ग) अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरूपयोग जघन्य अपराध हैं, और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो;

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं–

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 5 में है;

(ख) ''गुरूतर लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 9 में है;

(ग) ''सशस्त्र बल या सुरक्षा बल'' से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है;

(घ) ''बालक'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है;

(ड़) ''घरेलू संबंध'' का वह अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (च) में है;

(च) ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 3 में है;

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) ''धार्मिक संस्था'' का वह अर्थ होगा जो धाार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 में है;

(झ) ''लैंगिक हमला'' का वही अर्थ है जो धारा 7 में है;

(ञ) ''लैंगिक उत्पीड़न'' का वही अर्थ है जो धारा 11 में है;

(ट) ''साझी गृहस्थी'' से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है;

(ठ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है;

(ड़) ''विशेष लोक अभियोजक'' से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में हैं।

अध्याय 2

बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराध

क.– प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

3. प्रवेशन लैंगिक हमला– कोई व्यक्ति, ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' करता है, यह कहा जाता है, यदि वह–

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

4. प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ख. गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

5. गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला– (क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर–

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या

(ii) किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर–

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या

(ii) बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां उक्त व्यक्ति, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद ऐसे जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड़) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

स्पष्टीकरण– जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संरक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए, या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,–

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन यथापरिभाषित

मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्मस कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या

(ii) बालिका की दशा में, वह लैंगिक हमले के परिणामस्वरूप, गर्भवती हो जाती है;

(iii) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्मस विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकेगा; या

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ठ) जो कोई, उसी बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ढ़) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(न) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवसत्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

वह गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

6. **गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड**– जो कोई, गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ग.– लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

7. **लैंगिक हमला**– जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

8. **लैंगिक हमले के लिए दंड**– जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

घ.– गुरूतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

9. **गुरूतर लैंगिक हमला**– (क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर–

(i) पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या

(ii) किसी थाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,–

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या

(ii) सुरक्षा या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,

लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेषण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ड़) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(छ जो कोई, बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है।

स्पष्टीकरण— जहां किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आशय को अग्रसर करने में लैंगिक हमला किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अर्थांतर्गत सामूहिक लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दायी होगा मानो वह उसके द्वारा अकेले किया गया था; या

(ज) जो कोई, बालक पर घातक आयुध, अग्न्यायुध, गर्म पदार्थ या संक्षारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई, किसी बालक को घोर उपहति कारित करते हुए या शारीरिक रूप से नुकसान और क्षति करते हुए या उसके/उसकी जननेंद्रियों को क्षति करते हुए लैंगिक हमला करता है; या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे—

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ठ) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा ह्रास कारित करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है; या

(ii) बालक, मानव प्रतिरक्षाह्रास विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से अयोग्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अयोग्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से ह्रास कर सकेगा; या

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ठ) जो कोई, बालक पर एक से अधिक बार या बार–बार लैंगिक हमला करता है; या

(ड़) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ढ़) जो कोई, बालक का रक्त या दत्तक या विवाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देखभाल करने वाला नातेदार या बालक के माता–पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या जो बालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई किसी बालक के न्यासी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए, बालक की किसी संस्था या गृह में या कहीं और, बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(थ) जो कोई, यह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(द) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या

(ध) जो कोई, सामुदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर लैंगिक हमला करता हैं, या

(न) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्व में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(प) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है या नग्न करके प्रदर्शन करता है,

वह गुरूतर लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

10. गुरूतर लैंगिक हमले के लिए दंड– जो कोई, गुरूतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ङ– लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

11. लैंगिक उत्पीड़न– कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से –

(i) कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या

(ii) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिसके उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके;

(iii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्ररूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या

(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रानिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार–बार निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या

(v) बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने का, इलेक्ट्रानिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से वास्तविक या गढ़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या

(ii) अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

स्पष्टीकरण– कोई प्रश्न, जिसमें "लैंगिक आशय" अंतर्वलित हैं, तथ्य का प्रश्न होगा।

12. लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड– जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अध्याय 3

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड

13. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग– जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित हैं) किसी प्ररूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है।

(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना;

(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेश के साथ या उसके बिना) करना;

(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना,

वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "किसी बालक का उपयोग" पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण, प्रकाशन सुनकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना सम्मिलित है।

14. अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड–

(1) जो कोई, अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(3) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से

भाग लेकर, करेगा, वह कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(4) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आठ वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(5) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यो में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

15. बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड– कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील समाग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करेगा, वह किसी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अध्याय 4

किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने का प्रयत्न

16. किसी अपराध का दुष्प्रेरण– कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो–

पहला– उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा– उस अपराध को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस अपराध को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा– उस अपराध के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1– कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी अपराध का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2– जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई कार्य करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 3– जो कोई किसी बालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोजन के लिए धमकी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अपहरण, कपट, प्रवंचना, शक्ति या स्थिति के दुरूपयोग, भेद्यता या संदायों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए फायदों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवाहित करता है, उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

17. दुष्प्रेरण के लिए दंडः–

जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।

स्पष्टीकरण– कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब

कहा जाता है, जब वह उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

18. किसी अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दंडः–

जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से, यथास्थिति, जिसकी अवधि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

अध्याय 5

मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया

19. अपराधों की रिपोर्ट करना:—

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी है) जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा:—

(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट; या

(ख) स्थानीय पुलिस।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में—

(क) एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी;

(ख) सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी;

(ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी गई है, उसे उपधारा (2) के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर्वस्तुओं को समझ सके।

(4) यदि बालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या कोई दुभाषिया जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, जब कभी आवश्यक समझा जाए, उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरूद्ध कोई अपराध किया गया है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तब रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी है) रखने की तुरन्त व्यवस्था करेगी।

(6) विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं किया गया है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके

अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी है।

(7) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए सद्‌भावनापूर्वक दी गई जानकारी के लिए व्यक्ति द्वारा सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगद नहीं होगा।

20. मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियों और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता:– मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्मिक, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम के उपयोग से, जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, (जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है), यथास्थिति, विशेष किशोर पुलिस यूनिट पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा।

21. मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड:–

(1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के लिए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) किसी कम्पनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे।

22. मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड:–

(1) कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उसको अपमानित करने, उद्दापित करने या धमकाने या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(3) जो कोई, बालक नहीं होते हुए, किसी बालक के विरूद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो, वह ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

23. मीडिया के लिए प्रक्रियाः–

(1) कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से, कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका–टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का अतिलंघन होना प्रभावित होता हो।

(2) किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियां भी है, जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगीः

परन्तु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन, बालक के हित में है।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोपों के लिए दायित्वाधीन होगा।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय 6

बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया

24. बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना–

(1) बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी पंसद के स्थान पर और यथासाध्य, उप–निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।

(3) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए।

(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरूद्ध नहीं किया जाएगा।

(5) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।

25. मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन–

(1) यदि बालक का कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संहिता कहा गया है) की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी, ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा;

परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होगा।

(2) मजिस्ट्रेट, उस संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने पर, बालक और उसके माता–पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, प्रदान करेगा।

26. अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपबंध–

(1) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माता–पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।

(2) जहां आवश्यक है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी दुभाषिए की, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, सहायता ले सकेगा।

(3) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निःशक्तता वाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ की, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(4) जहां संभव है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य–दृश्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए।

27. बालक की चिकित्सीय परीक्षा–

(1) उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164क के अनुसार की जाएगी।

(2) यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी।

(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता हो।

(4) जहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता–पिता या अन्य व्यक्ति, बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सीय परीक्षा, चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

अध्याय 7

विशेष न्यायालय

28. विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना–

(1) त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए, अभिहित करेगी:

परन्तु यदि किसी सेशन न्यायालय को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को, बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है, तो ऐसे न्यायालय इस धारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का (उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न) विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67 ख के अधीन अपराधों का, जहां तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित है, या बालकों का आन–लाईन दुरूपयोग सुकर बनाते हैं, विचारण करने की अधिकारिता होगी।

29. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणाः–

जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।

30. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा–

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो

अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है।

31. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना—

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध (जमानत और बंधपत्र विषयक उपबंधों सहित) किसी विशेष न्यायालय के समझ कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समझ अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को, लोक अभियोजन समझा जाएगा।

32. विशेष लोक अभियोजक—

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की, नियुक्ति करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो।

(3) इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तद्नुसार प्रभावी होंगे।

अध्याय 8

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन

33. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां–

(1) कोई विशेष न्यायालय, अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, ले सकेगा।

(2) यथास्थिति, विशेष लोक अभियोजक या अभियुक्त के लिए उपसंजात होने वाला काउंसेल बालक की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, या पुनःपरीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को, विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा जो क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा।

(3) विशेष न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझे, विचारण के दौरान बालक के लिए बार–बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) विशेष न्यायालय, बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की, जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास है, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा।

(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार–बार नहीं बुलाया जाए।

(6) विशेष न्यायालय, विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बालक की गरिमा बनाए रखी जाए।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाए;

परंतु ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बालक की पहचान में, बालक के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसी की पहचान या कोई अन्य सूचना जिसके द्वारा बालक की पहचान का पता चल सके सम्मिलित होंगे।

(8) समुचित मामलों में विशेष न्यायालय, दंड के अतिरिक्त, बालक को कारित किसी शारीरिक या मानसिक आघात के लिए या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसे प्रतिकर के संदाय का निदेश दे सकेगा जो विहित किया जाए।

(9) इस अनिधिम के उपबंधों के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण ऐसे करेगा, मानो वह सेशन न्यायालय हो, और यथाशक्य सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

34. बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामले में प्रक्रिया–

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी बालक द्वारा किया जाता है वहां ऐसे बालक पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नही ंतो ऐसे प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् किया जाएगा और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल पश्चात्वर्ती सबूत के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उपधारा (2) के अधीन उसके द्वारा यथा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी।

35. बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि–

(1) बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण, यदि कोई हों, विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भतर विचारण पूरा करेगा।

36. साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को न दिखना–

(1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलिखित करते समय अभियुक्त के सामने अभिदर्शित नहीं किया गया है, जब कि उसी समय यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने अधिवक्ता के संपर्क में है।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, बालक का कथन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पर्दा या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अभिलिखित कर सकेगा।

37. विचारण का बंद कमरे में संचालन–

विशेष न्यायालय, मामलों का विचारण बंद कमरे में और बालक के माता–पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करेगा, जिसमें बालक का विश्वास या भरोसा है:

परंतु जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किए जाने की आवश्यकता है, वहां वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 284 के उपबंधों के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्यवाही करेगा।

38. बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषिए या विशेषज्ञ की सहायता लेना–

(1) जब कभी आवश्यक हो, न्यायालय बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी ऐसे अनुवादक या दुभाषिए, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

(2) यदि बालक मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो विशेष न्यायालय, बालक का साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अर्हताएं, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, की सहायता ले सकेगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

39. विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश—

राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, गैर–सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थय, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक की सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करेगी।

40. विधिक काउन्सेल की सहायता लेने का बालक का अधिकार—

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 301 के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे:

परन्तु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक कांउसेल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराएगा।

41. कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू न होना—

धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित है) तक के उपबंध बालक की चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सीय परीक्षा या चिकित्सीय उपचार उसके माता–पिता या संरक्षक की सहमति से किए जा रहे हों।

42. आनुकल्पिक दंड—

जहां कोई कार्य या लोप इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित करता है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया अपराधी केवल उस दण्ड का भागी होगा जो ऐसी विधि या इस अधिनियम के अधीन मात्रा में गुरूतर हो।

43. अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता—

केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगी कि—

(क) साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता–पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियों

और प्रिंट मीडिया भी सम्मिलित है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और संबद्ध व्यक्तियों (जिसकें अन्तर्गत पुलिस अधिकारी भी हैं) को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

44. अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी–

(1) यथास्थिति, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, उस अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरी ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, करेंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन निहित की गई है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे।

45. नियम बनाने की शक्ति–

(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (3) तथा धारा 38 के अधीन किसी अनुवादक या दुभाषिए, किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क करने की रीति से सुपरिचित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अर्हताएं और अनुभव तथा संदेय फीस;

(ख) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सीय उपचार;

(ग) धारा 33 उपधारा (8) के अधीन प्रतिकर का संदाय;

(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मानीटरी की रीति।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों की ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

46. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति–

(1) यदि इस अधिनिमय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उसे कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों:

परन्तु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भः—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँः—

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''अधिनियम'' से लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत हैः

(ख) ''जिला बाल संरक्षक एकक'' से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 62क के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला बाल संरक्षक एकक अभिप्रेत है;

(ग) ''विशेषज्ञ'' से मानसिक स्वास्थ्य, औषधि, बाल विकास या अन्य संबंधित शाखा में प्रशिक्षित ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिससे किसी ऐसे बालक के साथ, जिसकी उपाघात, निःशक्तता या किसी अन्य भेद्यता द्वारा संसूचित करने की योग्यता प्रभावित हो गई है, संपर्क को सुकर बनाने की अपेक्षा की जाए;

(घ) ''विशेष शिक्षक'' से विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ किसी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं और आवश्यकताओं का, जिसके अंतर्गत विद्धता और संसूचना, भावात्मक और व्यवहारिक विकारों, शारीरिक निःशक्तता और विकासात्मक विकारों की चुनौतियां भी हैं, पता लगाने की दृष्टि से संपर्क करने में प्रशिक्षित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड़) ''बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति'' से किसी बालक के माता—पिता या कुटुंब का सदस्य या उसकी सांझी गृहस्थी का कोई सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता है, जो बालक की अद्वितीय संपर्क रीति से सुपरिचित होता है और जिसकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संपर्क के लिए अपेक्षित या सहायक हो सकेगी;

(च) ''सहायक व्यक्ति'' से बाल कल्याण समिति द्वारा नियम 4 के उपनियम (8) के अनुसार बालक को अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से सहायता देने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति या अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बावत् विचारण—पूर्व या विचारण प्रक्रिया में बालक को सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) उन अन्य शब्दों या पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षकः—

(1) प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण एकक, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क ब्यौरों के साथ एक रजिस्टर रखेगा और यह रजिस्टर विशेष किशोर पुलिस यूनिट (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एस.जे.पी.यू.' कहा गया है), स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा।

(2) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव वह होगा, जो इन नियमों में उपदर्शित किया जाए।

(3) जहां किसी दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक की उपनियम (1) के अधीन जिला बाल कल्याण एकक द्वारा अनुरक्षित सूची से भिन्न, नियुक्ति की जाती है, वहां इस नियम के उप नियम (4) और उप नियम (5) के अधीन विहित अपेक्षाओं को सुसंगत अनुभव के साथ या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक द्वारा सुसंगत भाषाओं में प्रदर्शित धारा प्रवाहिता के सबूत के आधार पर, जिला बाल कल्याण एकक, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में शिथिल किया जा सकेगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त दुभाषिए या अनुवादक को किसी बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राजभाषा से, या तो ऐसी भाषा उसकी मातृभाषा होने के परिणामस्वरूप या कम से कम प्राथमिक स्तर तक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम होने के परिणामस्वरूप या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा उसके व्यवसाय या वृत्ति या उस क्षेत्र में, जहां वह भाषा बोली जाती है, निवास स्थान होने के कारण अर्जित ज्ञान के परिणामस्वरूप कार्यात्मक रूप से सुपरिचित होना चाहिए।

(5) उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए संकेतभाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय सुधार परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में अथवा किसी विशेषज्ञ की दशा में सुसंगत शाखा में सुसंगत अर्हताएं होनी चाहिए।

(6) ऐसे दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए, जिनका नाम उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में या अन्यथा

प्रविष्ट किया जाता है, भुगतान, राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 61 के अधीन अनुरक्षित निधि से या जिला बाल संरक्षण एकक के नियंत्रणाधीन अन्य निधियों से, उनके द्वारा अवधारित दरों पर और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित करे, अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर किया जाएगा।

(7) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तारीख के पश्चात्, दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ के लिंग के बारे में बालक द्वारा व्यक्त की गई किसी अधिमानता पर विचार किया जा सकेगा और जहां आवश्यक हो, वहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति को, बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने हेतु नियुक्त किया जा सकेगा।

(8) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक विशेषज्ञ या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित व्यक्ति निष्पक्ष और समदर्शी होगा और किसी वास्तविक या विदित हित विरोध को प्रकट करेगा। वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 282 के अनुसार किन्हीं परिवर्धन या लोप के बिना पूर्ण और यथार्थ निर्वचन या अनुवाद करेगा।

(9) विशेष न्यायालय, धारा 38 के अधीन कार्यवाहियों में यह सुनिश्चित करेगा कि क्या बालक पर्याप्त रूप से न्यायालय की भाषा बोलता है या नहीं और किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से सुपरिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, की नियुक्ति में कोई हित विरोध तो अंर्तवलित नहीं है।

(10) अधिनियम या उसके नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई दुभाषिया, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन यथा वर्णित गोपनीयता के नियम से आबद्ध होगा।

4. देखरेख और संरक्षणः—

(1) जहां किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस को किसी व्यक्ति से जिसके अंतर्गत बालक भी है, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कोई भी सूचना प्राप्त होती है वहां ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को तुरंत निम्नलिखित ब्यौर प्रकट करेगीः—

(i) उसका नाम और पदनाम;

(ii) पता और दूरभाष नंबर;

(iii) उस अधिकारी का नाम, पदनाम और संपर्क ब्यौरे जो सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी का पर्यवेक्षण करता है।

(2) जहां, यथास्थित, किसी एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या, स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में किसी ऐसे अपराध की बावत् जो किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या जिसका किया जाना संभाव्य है, की सूचना प्राप्त होती है वहां संबंधित प्राधिकारी, जहां लागू हो,

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के उपबंधों के अनुसार प्रथम इत्तला रिपोर्ट अभिलिखित और रजिस्ट्रीकृत करने के लिए जाएगा और संहिता की धारा 154 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उसकी एक प्रति मुफ्त देगा;

(ख) जहां बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन या इन नियमों के अधीन यथावर्णित आपात चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है वहां बालक की नियम 5 के अनुसरण में ऐसी देखरेख करवाने की व्यवस्था करेगा;

(ग) बालक को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में चिकित्सा प्रक्रिया के लिए अस्पताल ले जाएगा;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालयिक जांच के लिए एकत्रित नमूने शीघ्रातिशीघ्र न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेज दिए गए है;

(ङ) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को सहायक सेवाओं, जिसमें मंत्रणा भी है, की प्राप्यता के बारे में सूचना देगा और उनकी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने में सहायता करेगा जो ऐसी सेवाएं और अनुतोष देने के लिए उत्तरदायी है;

(च) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को अधिनियम की धारा 40 के अनुसरण में बालक को विधिक सलाह का अधिकार और परामर्शी और किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचना देगा।

(3) जहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है और यह युक्तियुक्त आशंका है कि बालक की उसी या साझी गृहस्थी में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या किया जाना संभाव्य है या बालक किसी बाल देखरेख संस्था में रह रहा है और माता पिता की सहायता के बिना है या बालक किसी भी गृह या माता पिता की सहायता के बिना पाया गया है तो

संबंधित एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी द्वारा ब्यौरेवार निर्धारण के अनुरोध सहित जिसमें लिखित में दिए जाने वाले ऐसे कारण भी होंगे कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, बालक को बाल कल्याण समिति (जिसमें इसके पश्चात् ''सीडब्ल्यूसी'' कहा गया है) के समक्ष पेश करेगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित सीडब्ल्यूसी को स्वप्रेरणा से या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के अनुसरण में तीन दिन के भीतर यह अवधारण करने के लिए अग्रसर होना चाहिए कि क्या बालक को उसके कुटुंब या साझी गृहस्थ की अभिरक्षा से अलग ले जाने और उसे किसी बालगृह या आश्रयगृह में रखने की आवश्यकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन अवधारण करते समय सीडब्ल्यूसी बालक द्वारा अभिव्यक्त किसी भी अधिमान या राय के साथ ही साथ बालक के सर्वोत्तम हित पर निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा:–

(i) बालक की तुरंत देखरेख और संरक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिसके अंतर्गत चिकित्सीय आवश्यकताएं और मंत्रणा भी है, माता–पिता या माता या पिता या कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की समर्थता;

(ii) बालक की उसके माता पिता, कुटुंब और विस्तृत कुटुंब में रहने की आवश्यकता और उनके संबंध बनाए रखना;

(iii) बालक की आयु और परिपक्वता का स्तर, लिंग और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि;

(iv) बालक की निःशक्तता, यदि कोई हो;

(v) ऐसी कोई भी दीर्घकालिक रूग्णता जिससे बालक ग्रस्त हो सकता है;

(vi) बालक या बालक के कुटुंब के किसी सदस्य को अंतर्वलित करने वाली कौटुंबिक हिंसा का कोई इतिहास; और

(vii) कोई अन्य सुसंगत कारण जो बालक के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव डालता हो।

परन्तु ऐसा अवधारण किए जाने के पूर्व एक जांच ऐसे रूप में की जाएगी जिससे बालक को अनावश्यक रूप से कोई क्षति या असुविधा नहीं हो।

(6) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है और जिनके साथ बालक रह रहा है

जो ऐसे अवधारण से प्रभावित हुआ है, को यह सूचना दी जाएगी कि ऐसे अवधारण पर विचार किया गया है।

(7) सीडब्ल्यूसी, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर या उपनियम (5) के अधीन अपने निर्धारण के आधार पर और बालक और उसके माता पिता या संरक्षण या अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की सहमति से अन्वेषण और विचारण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक की सहायता करने के लिए एक सहायक व्यक्ति की व्यवस्था कर सकेगी। ऐसा सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या संगठन या बाल गृह या बालक की अभिरक्षा रखने वाले आश्रयगृह का कोई पदधारी या डीसीपीयू द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति हो सकेगा :

परन्तु इन नियमों की कोई बात बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता मांगने से नही रोकेगी।

(8) सहायक व्यक्ति हर समय बालक से संबंधित सभी सूचनाओं, जिन तक उसकी पहुंच है, की गोपनीयता बनाए रखेगा। वह बालक और उसके माता पिता या सरंक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, मामले की कार्यवाहियों के बारे में सूचित करता रहेगा जिसके अंतर्गत उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाएं और संभावी परिणाम भी है, वह बालक को न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा अदा की जा सकने वाली भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बालक से संबंधित उसकी अभियुक्त से सुरक्षा और वह रीति जिस पर वह अपना परिसाक्ष्य देना चाहेगा, के बारे में सुसंगत प्राधिकारियों को बताएगा।

(9) जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति दिया गया है, वहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसे समनुदेशन करने के 24 घंटे के भीतर लिखित में विशेष न्यायालयों को सूचना देगा।

(10) सीडब्ल्यूसी (बालक कल्याण समिति), बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या उस व्यक्ति के, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, अनुरोध पर सहायक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर सकेगा और ऐसा अनुरोध करने वाले बालक से ऐसे अनुरोध के लिए कोई भी कारण देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। विशेष न्यायालय को ऐसी सूचना लिखित में दी जाएगी।

(11) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस का बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की, जिस पर बालक का विश्वास और भरोसा है और जहां सहायक व्यक्ति समनुदेशित किया गया है वहां ऐसे व्यक्ति को मामले की प्रगति के बारे में सूचना देने

का उत्तरदायित्व होगा जिसके अंतर्गत अभियुक्त की गिरफ्तारी, फाइल किए गए आवेदन और अन्य न्यायालयिक कार्यावाहियां भी हैं।

(12) एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), स्थानीय पुलिस या सहायक व्यक्ति, द्वारा बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक भरोसा और विश्वास है, को दी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित है किन्तु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है :–

(i) लोक और निजी आपात और संकटावस्था सेवाओं की उपलब्धता;

(ii) किसी दांडिक अभियोजन में अंतर्वलित प्रक्रियात्मक कदम;

(iii) पीड़ित के प्रतिकर फायदों की प्राप्यता;

(iv) अपराध के अन्वेषण की प्रास्थिति, जहां तक उसकी सूचना पीड़ित को देना उपयुक्त है और जहां तक इससे अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं होगा;

(v) किसी संदिग्ध अपराधी की गिरफ्तारी;

(vi) किसी संदिग्ध अपराधी के विरूद्ध आरोप फाइल करना;

(vii) न्यायालयिक कार्यवाहियों की समयानुसूची जिस पर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हक रखता है;

(viii) किसी अपराधी या संदिग्ध अपराधी की जमानत, उसे छोड़े जाने या निरोध की प्रास्थिति;

(ix) विचारण के पश्चात् किसी अधिमत का दिया जाना; और

(x) किसी अपराधी पर अधिरोपित दंडादेश।

5. आपात चिकित्सा देखरेखः–

(1) जहां एसजेपीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट), या स्थानीय पुलिस के किसी अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिनियम के अधीन को कोई अपराध किया गया है और उसका समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरूद्ध कोई अपराध किया गया है, तुरन्त चिकित्सा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह यथाशक्य शीघ्र किंतु ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घटे के अपश्चात् ऐसे बालक को आपात चिकित्सा देखरेख के लिए निकटतम अस्पताल या चिकित्सा देखरेख प्रसुविधा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था करेगा :

परन्तु जहां कोई अपराध अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9 के अधीन किया गया है वहां पीड़ित आपात चिकित्सा देखरेख के लिए ले जाया जाएगा।

(2) आपात चिकित्सा देखरेख, ऐसी रीति में, जिससे बालक की निजता की

सुरक्षा हो सके, और उसके माता पिता या सरंक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की जाएगी।

(3) किसी बालक की आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला कोई भी चिकित्सा व्यवसायी, अस्पताल या अन्य चिकित्सा प्रसुविधा केन्द्र ऐसी देखरेख करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रुप में किसी भी विधिक या मजिस्ट्रेट की अध्यपेक्षा या अन्य प्रलेखीकरण की मांग नहीं करेगा।

(4) आपात चिकित्सा देखरेख करने वाला रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :–

(i) कट (विदारण), नीलो, और क्षतियों जिसके अंतर्गत जननेन्द्रिय क्षति, यदि कोई हो, भी है, का उपचार;

(ii) लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडीज) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत परिलक्षित एसटीडीज का रोग निरोध भी है, का उपचार;

(iii) संक्रामक रोग विशेषज्ञ से आवश्यक परामर्श के पश्चात् ह्यूमन इम्यूनोडेफिसियंसी वायरस (एचआईवी) के उच्छन्न जिसके अंतर्गत एचआईवी का रोग निरोध भी है, का उपचार;

(iv) यौवनागम बालक और उसके माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति से, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, के साथ संभाव्य गर्भास्तित्व और आपात गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करनी चाहिए; और

(v) जहां आवश्यक हो, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए संदर्भलोकन या परामर्श या अन्य मंत्रणा की जानी चाहिए।

(5) आपात चिकित्सा देखरेख करने के प्रक्रम पर एकत्रित किए गए किसी भी न्याय संबंधी साक्ष्य को अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में एकत्रित किया जाना चाहिए।

6. अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरी :–

(1) यथास्थिति, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" कहा गया है) या राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एनसीपीसीआर" कहा गया है), बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा :–

(क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के पदाभिधान को मॉनीटर करना;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा लोक अभियोजकों की नियुक्ति को मॉनीटर करना;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा, बालक की विचारण पूर्व और विचारण के स्तर पर

सहायता से सहबद्ध गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों या मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालक विकास का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 39 में वर्णित मार्गनिर्देश बनाने को मॉनीटर करना और इन मार्गनिर्देशों को लागू करने को मॉनीटर करना;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए प्रशिक्षण पुलिस कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी भी है, के लिए निश्चायिका के डिजाइन और कार्यान्यवन को मॉनीटर करना;

(ङ) मीडिया, जिसके अन्तर्गत टेलीविजन, रेडियों और प्रिंट मीडिया भी है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मॉनीटर करना और उनकी सहायता करना जिससे अधिनियम के उपबंधों के प्रति जनसाधारण बालकों के साथ ही साथ उनके माता पिता और संरक्षकों को जागरूक किया जा सके।

(2) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर किसी सीडब्लूसी की अधिकारिता के भीतर आने वाले बालक लैंगिक दुरूपयोग के किसी भी विनिर्दिष्ट मामले पर रिपोर्ट मांग सकेंगे।

(3) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर स्वप्रेरणा से या सुसंगत अभिकरणों से लैंगिक दुरूपयोग के रिपोर्ट किए गए मामले और अधिनियम के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अधीन उनके निपटारे की बाबत् सूचना और ऑकड़े एकत्रित कर सकेंगे जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना भी है:–

(i) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरे;

(ii) क्या अधिनियम और नियमों के अधीन विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया है जिसके अन्तर्गत समयसीमा से संबंधित प्रक्रिया भी है;

(iii) अधिनियम के अधीन अपराधों के पीड़ितों की देखरेख और संरक्षण के लिए व्यवस्था के ब्यौरे जिसके अन्तर्गत आपात चिकित्सा देखरेख और चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था भी है; और

(iv) संबंधित सीडब्लूसी द्वारा किसी भी विनिर्दिष्ट मामले में किसी बालक की देखरेख और सरंक्षण के लिए आवश्यकता के निर्धारण की बाबत् ब्यौरे।

(4) यथास्थिति, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर इस प्रकार एकत्रित सूचना का प्रयोग अधिनियम के उपबंधो के कार्यान्वयन को निर्धारित करने के लिए कर सकेगी। अधिनियम की मॉनीटरी पर रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में सम्मिलित किया जाएगा।

7. प्रतिकरः–

(1) विशेष न्यायालय, समुचित मामलो में स्वप्रेरणा से या बालक द्वारा या उसकी ओर से फाइल किए गए आवेदन पर प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् किसी भी स्तर पर बालक के अनुरोध या पुनर्वास की तुंरत आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंतरिम प्रतिकर का आदेश पारित कर सकेगा। बालक को संदत्त ऐसे अंतरिम प्रतिकर को अंतिम प्रतिकर, यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा।

(2) विशेष न्यायालय, स्वप्रेरणा से या पीड़ित द्वारा या उसकी ओर से फाइल किए गए किसी आवेदन पर जहां अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया है या जहां मामले का परिणाम दोषमुक्ति या उन्मोचन है या अभियुक्त का पता नहीं लगा है या पहचान नहीं की गई है और विशेष न्यायालय की राय से बालक ने उक्त अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति उठाई है तो प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की सिफारिश कर सकेगा।

(3) जहां विशेष न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन पीड़ित को प्रतिकर अधिनिर्णीत करने का निर्देश देता है तो पीड़ित को हुई हानि या क्षति से संबंधित सभी सुसंगत कारणों पर विचार करेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :–

(i) दुरूपयोग का प्रकार, अपराध की संगीनता और बालक द्वारा उठाई गई मानसिक और शारीरिक अपहानि और क्षति की गंभीरता;

(ii) शारीरिक और/या मानसिक स्वास्थ्य के लिए उस पर उपगत या उपगत किए जाने के लिए संभाव्य व्यय;

(iii) अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसरों की हानि जिसके अन्तर्गत मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सा उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से विद्यालय से अनुपस्थिति भी है;

(iv) अपराध के परिणामस्वरूप नियोजन की हानि जिसके अन्तर्गत मानसिक आघात, शारीरिक क्षति, चिकित्सा उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से नियोजन के स्थान से अनुपस्थिति भी है;

(v) अपराधी के साथ बालक का संबंध, यदि हो;

(vi) क्या ऐसा दुरूपयोग एक अकेली घटना थी या ऐसा दुरूपयोग अलग–अलग समय पर बार–बार पर होता रहा;

(vii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई है;

(viii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप किसी लैंगिक पारेषित रोग (एसटीडी) से संसर्ग–प्राप्त हो गया है;

(ix) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप ह्यूमन इम्यूनोडेफिसियंसी वायरस (एचआईवी) से संसर्ग–प्राप्त हो गया है;

(x) अपराध के परिणामस्वरूप बालक द्वारा वहन की गई कोई भी निःशक्तता;

(xi) उस बालक की वित्तीय स्थिति जिसके विरूद्ध अपराध किया गया है जिससे उसके पुनर्वास की आवश्यकता को अवधारित किया जा सके;

(xii) कोई अन्य कारण जो विशेष न्यायालय सुसंगत समझे।

(4) विशेष न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर राज्य सरकार द्वारा पीड़ित के लिए प्रतिकर निधि या उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पीड़ित के प्रतिकर और पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य स्कीम या निधि से किया जाना है या जहां ऐसी निधि या स्कीम नहीं है वहां राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

(5) राज्य सरकार विशेष न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर का संदाय ऐसे आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर करेगी।

(6) इन नियमों की कोई बात बालक या उसके माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियमों और स्कीम के अधीन अनुतोष मांगने के लिए आवेदन देने से नहीं रोकेगी।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील –   जनपद–

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/– (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों / भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट / गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45.	सरल कानूनी ज्ञान माला–45	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
46.	सरल कानूनी ज्ञान माला–46	आपदा प्रबंधन
47.	सरल कानूनी ज्ञान माला–47	उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726